न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–पीयुष समारिया, आई.ए.एस

राजस्व मामला संख्या –96/2021
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2021/156

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
तहसीलदार, कुचामनसिटी		1. धापूदेवी पुत्री चौथूराम पत्नि मानाराम 2. चुकादेवी पुत्री चौथूराम पत्नि प्रभुराम समस्त जाति जाट निवासी कुचामनसिटी हाल निवासी कांकड़िया बेरा की ढाणी तहसील मकराना (नागौर)

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।
2. अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री भंवरलाल चौधरी।

निर्णय दिनांक 4/10/2022

राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत श्री गोपीराम पुत्र चौथूराम जाति जाट निवासी कुचामनसिटी को उपखण्ड अधिकारी परबतसर के आवंटन आदेश क्रमांक राजस्व/75/ दिनांक 22.04.1975 के द्वारा ग्राम पनवाड़ी गत खसरा नम्बर 12 मिन रकबा 10 बीघा किस्म बारानी द्वितीय जिसके नये खसरा नम्बर 371/216 रकबा 1.62 हैक्टेयर का आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रकरण राजस्व मामला प्रस्तुत किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजपैरोकार की बहस सुनी गई। राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि ग्राम पनवाडी के गत खसरा नम्बर 12 मिन रकबा 10 बीघा किस्म बारानी द्वितीय जिसके नये खसरा नम्बर 371/216 रकबा 1.62 हैक्टेयर बने है, जो श्री गोपीराम पुत्र चौथूराम जाति जाट निवासी कुचामनसिटी को उपखण्ड अधिकारी महोदय परबतसर के आवंटन आदेश क्रमांक/राजस्व/75 दिनांक 22.04.1975 के द्वारा आवंटित की गयी थी जिसका नामान्तरण संख्या 66 दिनांक 20.10.1977 द्वारा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया है।

उक्त आवंटन के पश्चात आवंटी व आवंटी के वारिसान द्वारा न तो आवंटित भूमि पर कब्जा किया गया और न ही आदिनांक तक काश्त की है। इस प्रकार आंवटन शर्तों की पालना नहीं की गयी है। खसरा गिरदावरी की नकले प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हुई है।

माननीय न्यायालय अति. जिला कलक्टर डीडवाना के प्रकरण संख्या 18/06 सरकार बनाम गोपीराम निर्णय दिनांक 31.01.2007 के अनुसार प्रकरण अति. तहसीलदार कुचामनसिटी को पुनः प्रेषित कर अप्रार्थी गोपीराम के कायम मुकामान को रेकर्ड पर लिये जाकर पुनः कार्यवाही प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार अप्रार्थी गोपीराम के कायम मुकामान जरिये नामान्तरण संख्या 523 दिनांक 04.09.2012 राजस्व रेकर्ड में दर्ज किए गये है। ग्राम पनवाड़ी के गत खसरा नम्बर 12 मिन रकबा 10 बीघा किस्म बारानी द्वितीय जिसके नये खसरा नम्बर 371/216 रकबा 1.62 हैक्टेयर का गोपीराम पुत्र चौथूराम को तत्समय किया गया आवंटन निरस्त कर उक्त आवंटित भूमि राजकीय खाते में दर्ज करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

वकील श्री भंवरलाल चौधरी ने अप्रार्थीगण की ओर से बहस में कथन किया कि प्रार्थी के आवेदन के पैरा संख्या 1 में अंकित तथ्य "ग्राम पनवाड़ी के गत खसरा नम्बर 12 मिन रकबा 10 बीघा किस्म बारानी द्वितीय जिसके नये खसरा नम्बर 371/216 रकबा 1.62 हैक्टेयर बने है, जो श्री गोपीराम पुत्र चौथूराम जाति जाट निवासी कुचामनसिटी को उपखण्ड अधिकारी महोदय परबतसर के

कलक्टर, नागौर

आवंटन आदेश क्रमांक/राजस्व/75 दिनांक 22.04.1975 द्वारा आंवटित की गयी थी जिसका नामान्तरण संख्या 66 दिनांक 20.10.1977 द्वारा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया हैं" सही हैं स्वीकार हैं। तहसीलदार साहब ने यह गलत लिखा हैं कि "उक्त आवंटन के पश्चात् आवंटी व आवंटी के वारिसान द्वारा न तो आंवटित भूमि पर कब्जा किया गया और न ही आदिनांक तक काश्त की है। मूल आवंटी एवं उसके वारिसान/उत्तरदाता अप्रार्थीगण का वाद ग्रस्त भूमि पर आवंटन तिथि से लगातार कब्जा रहा हैं एवं मूल आवंटी/उसके वारिसान/उत्तरदाता अप्रार्थीगण समय–समय पर उक्त भूमि पर काश्त करते आ रहे, भूमि की कुदरती फसले पाला, खेजड़ी, घास का उपयोग करते आ रहे हैं, अपने मवेशी चराते आ रहे हैं भूमि बारानी होने के कारण कमजोर किस्म की होने से हर वर्ष फसल नहीं की जाती हैं लेकिन हर दूसरे/तीसरे वर्ष फसल की जाती रही हैं, खसरा गिरदावरी न तो रिकार्ड ऑफ राईट हैं एवं न ही खसरा गिरदावरी के आधार कोई अधिकार तय किये जा सकते है। हालांकि खसरा गिरदावरी में अप्रार्थीगण की काश्त दर्ज है। स्वंय तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी में भी सम्वत् 2076 में 1.40 हैक्टेयर में हमारी बाजरा फसल की गिरदावरी अंकित की हुई हैं। सम्वत् 2075 व सम्वत् 2077 में भी फसल की गई हैं एवं गिरदावरी में लिखी भी गई हैं। अप्रार्थीगण के कब्जे एवं अधिकारों की भूमि का खसरा संख्या 371/216 राजस्व नक्शे में स्वंय राजस्व विभाग द्वारा अलग से दर्शाया हुआ भी है। अप्रार्थीगण ने आंवटन की किसी भी शर्त की अपालना नहीं की हैं।

तहसीलदार कुचामन द्वारा सन् 2006 में नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम के तहत श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना के न्यायालय में रेफरेंस प्रकरण संख्या 18/06 सरकार बनाम गोपीराम प्रस्तुत कर दिया एवं वह प्रकरण संख्या 18/06 दिनांक 31.01.2007 को जब अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना द्वारा अस्वीकार कर खारिज भी कर दिया गया तो उसके साढ़े चौदह वर्ष पश्चात नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम में तहसीलदार साहब को पुनः यह आवेदन करने का कोई अधिकार ही नहीं है एवं अब यह कार्यवाही चलने योग्य ही नही हैं तथा कार्यवाही अत्यधिक देरी से होने से मियाद बाहर भी हैं। स्वंय तहसीलदार कुचामनसिटी के कथनानुसार एवं राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त वर्तमान खसरा संख्या 371/216 की 1.62 हैक्टेयर भूमि दिनांक 22.04.1975 को गोपीराम पुत्र चौथूराम को आंवटित की गई थी एवं नामान्तरण संख्या 66 दिनांक 20.10.1977 द्वारा राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया, 10 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर गैर खातेदार स्वतः ही खातेदार बन जाता हैं। अतः नियमानुसार गोपीराम सन् 1985 में ही इस भूमि का विधिवत खातेदार हो चुका था केवल राजस्व रिकार्ड में उसे खातेदार दर्ज नहीं किया गया एवं राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार को खातेदार दर्ज करने का कार्य राजस्व एजेन्सी का ही है। इस हेतु गैर खातेदार/अप्रार्थीगण दोषी नहीं है।

तहसीलदार साहब कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के पैरा संख्या 5 में श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना के न्यायालय के जिस प्रकरण संख्या 18/06 का उल्लेख किया गया वह प्रकरण भी गलत था एवं मियाद बाहर था एवं वह प्रकरण दिनांक 31.01.2007 को खारिज भी हो गया था अतः अब दुबारा यह प्रकरण चलने योग्य नहीं हैं। आंवटन के 10 वर्ष पश्चात आवंटी को स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये ओर खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद आंवटन निरस्त नहीं किया जा सकता हैं। इसलिए तहसीलदार कुचामान सिटी द्वारा प्रस्तुत आवेदन चलने योग्य नहीं है। तहसीलदार कुचामन सिटी ने आवंटन के 46 वर्ष पश्चात नियम 14 (4) के तहत यह आवेदन दिया हैं, नियम 14 (4) के तहत आंवटन तभी निरस्त किया जा सकता है जब आवंटन कपट या दुर्व्यप्रदर्शन के द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्ध किया गया हो, अप्रार्थीगण पर ऐसे कोई आरोप भी नहीं होने का कथन करते हुए वकील अप्रार्थीगण ने तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को अस्वीकार कर खारिज करने का निवेदन किया है। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी.2016(2) पेज 756,आर.आर.डी. मार्च, 2001 पेज 126 प्रस्तुत किये।

कलक्टर,नागौर

राजपैरोकार ने रिबटल में वकील अप्रार्थी की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि उक्त श्री गोपीराम पुत्र चौथूराम को उक्त नियम 1970 के नियमों के तहत उक्तनुसार भूमि आवंटन कर राजस्व रेकर्ड में गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है, परन्तु उक्त आवंटितशुदा भूमि पर आवंटी श्री गोपीराम व अप्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं होने से ही राजस्व रेकर्ड में आवंटी अथवा अप्रार्थीगण को खातेदार के रूप दर्ज नहीं किया गया है। इसलिए वकील अप्रार्थी का उक्त कथन स्वीकार करने योग्य नहीं है कि आवंटन के बाद 10 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर गैर खातेदार स्वतः ही खातेदार बन जाता है। जब किसी व्यक्ति को उक्त नियम 1970 के नियमों के तहत कृषि हेतु भूमि का आवंटन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति की काश्त एवं कब्जा होना आवश्यक है, परन्तु हस्तगत प्रकरण में खसरा गिरदावरी व पटवारी की रिपोर्ट अनुसार आवंटी एवं अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त साबित नहीं होने से श्री गोपीराम पुत्र चौथूराम को किया गया आवंटन निरस्त किया जाना न्याय संगत होने का कथन करते हुए प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि श्री गोपीराम पुत्र चौथूराम जाति जाट निवासी कुचामनसिटी को उपखण्ड अधिकारी परबतसर के आवंटन आदेश क्रमांक राजस्व/75/ दिनांक 22.04.1975 के द्वारा ग्राम पनवाड़ी मत खसरा नम्बर 12 मिन रकबा 10 बीघा किस्म बारानी द्वितीय जिसके नये खसरा नम्बर 371/216 रकबा 1.62 हैक्टेयर का आवंटन किया गया था। प्रकरण में पटवारी रूपपुरा एवं भू–अभिलेख निरीक्षक कुचामनसिटी की मौका दिनांक 11.08.2020 के अनुसार ग्राम पनवाड़ी गत खसरा नम्बर 12 मिन रकबा 10 बीघा किस्म बारानी द्वितीय जिसके नये खसरा नम्बर 371/216 रकबा 1.62 हैक्टेयर की गैर खातेदारी अप्रार्थीगण धापूदेवी व चुकादेवी के नाम दर्ज रेकार्ड है। मौके पर वर्तमान में उक्त भूमि पड़त है। मौका पर उक्त खसरा नम्बर पर फसल आदि बुवाई नहीं की हुई है। गैर खातेदारान् का किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। उक्त भूमि की खसरा गिरदावरी संवत् 2058 से 2061, संवत् 2064 से 2067, संवत् 2068 से 2071, संवत् 2072 से 2075 व संवत 2077 में आवंटी/अप्रार्थीगण की कोई काश्त दर्ज नहीं है। केवल मात्र संवत् 2076 में कास्त के रूप में बाजरा दर्ज किया गया है। इसलिए वकील अप्रार्थी का कथन कि भूमि बारानी होने के कारण कमजोर किस्म की होने से हर वर्ष फसल नहीं की जाती है, लेकिन हर दूसरे/तीसरे वर्ष फसल की जाने का कथन साबित नहीं है। वकील अपीलान्ट के कथन कि आवंटन के बाद 10 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर गैर खातेदार स्वतः ही खातेदार बन जाता है। उक्त संबंध में राजपैरोकार द्वारा रिबटल में किये गये कथन उचित प्रतीत होते है। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण के तथ्यों आदि के सन्दर्भ में हूबहू चस्पा नहीं होते है। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन को स्थिर रखना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रस्तुत हस्तगत राजस्व मामला आवेदन स्वीकार किया जाता है। ग्राम पनवाडी के गत खसरा नम्बर 12 मिन रकबा 10 बीघा किस्म बारानी द्वितीय जिसके नये खसरा नम्बर 371/216 रकबा 1.62 हैक्टेयर बने है, जो श्री गोपीराम पुत्र चौथूराम जाति जाट निवासी कुचामनसिटी को उपखण्ड अधिकारी महोदय परबतसर के आवंटन आदेश क्रमांक राजस्व/75 दिनांक 22.04.1975 के द्वारा आवंटित की गयी थी, उक्त आवंटन निरस्त किया जाता है। भूमि की राजस्व रिकार्ड में, आवंटन से पूर्ववत की स्थिति बहाल कर उक्त भूमि राजहक मे ली जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार कुचामनसिटी को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर